राजकीय कला महाविद्यालय कोटा (राज.)

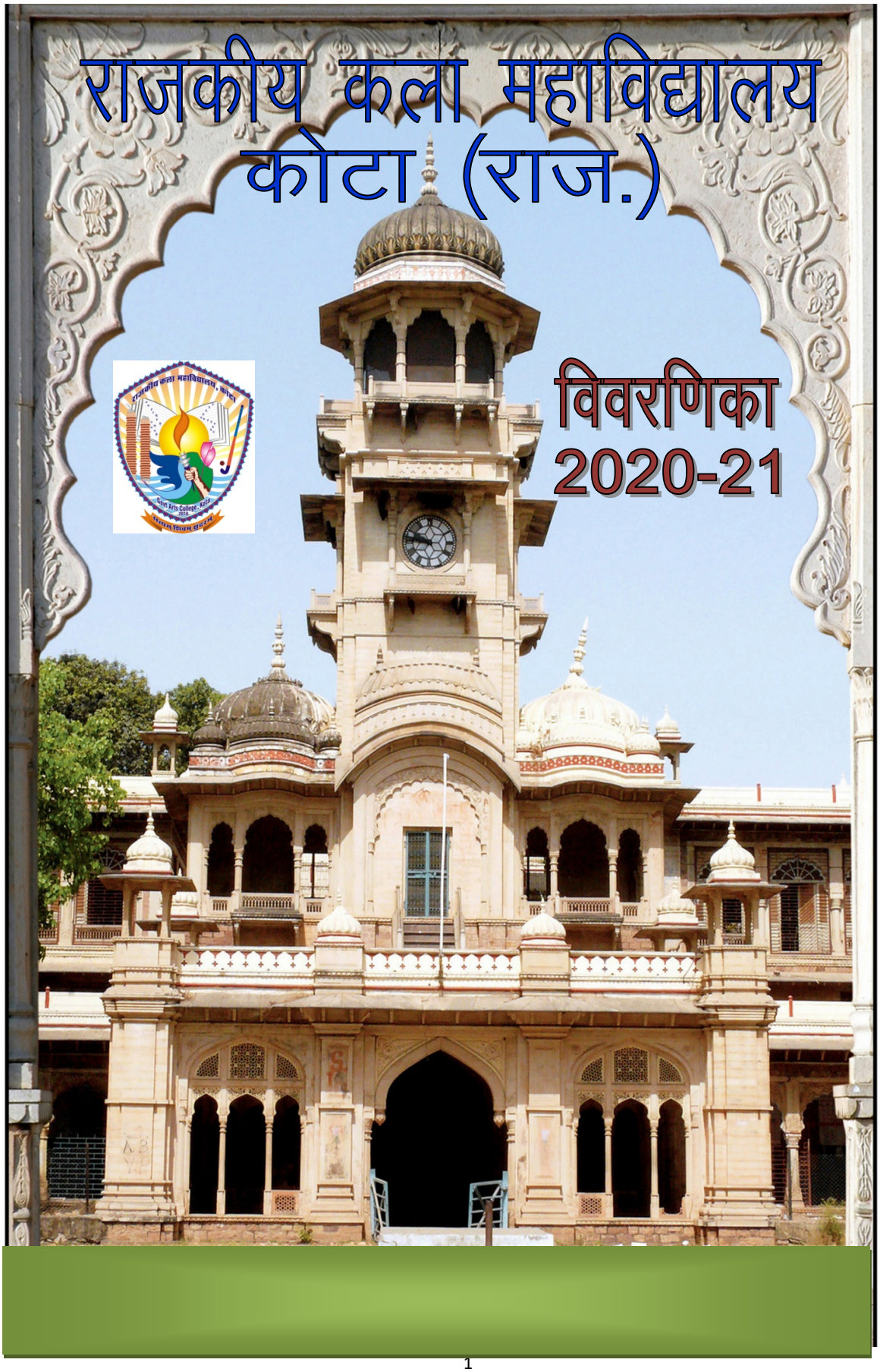

विवरणिका 2020-21

विवरणिका

सत्र 2020–21

राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा

प्राचार्य
डॉ. (श्रीमती) कंचना सक्सेना
कार्यालय : 2324489

समग्र प्रवेश प्रभारी
डॉ. (श्रीमती) सरिता शर्मा

सह प्रभारी
डॉ. (श्रीमती) सीमा सोरल

सम्पादक
डॉ. एम.जेड़.ए.खॉन

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	उद्‌बोधन	04
2.	विद्यार्थियों को परमावश्यक निर्देश	05
3.	प्रतिबंधित विषय–समूह	10
4.	शैक्षणिक सूचना	11
5.	संकायवार/विषयवार स्वीकृत वर्ग	12
6.	उपलब्ध विषय एवं विषय – समूह	13
7.	शुल्क भुगतान सम्बन्धी सूचनाऐं	14
8.	राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ	17
9.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	22
10.	सह शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ	28
11.	छात्रों के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय संबंधी निर्देश	31
12.	संकाय सदस्य	32
13.	मंत्रालयिक कर्मचारी	33
14.	सहायक कर्मचारी	33
15.	समितियाँ	34
16.	प्रवेश समितियाँ	35

उद्‌बोधन

कौन हो तुम! बसन्त के दूत।
विरस पतझड़ में अति सुकुमार।।
घन तिमिर चपला की रेख।
तपन में शीतल मन्द बयार।।

प्रिय विद्यार्थियों,

नवीन सत्र 2020–21 में राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा परिवार आप सभी का हार्दिक एवं आत्मिक स्वागत करता है। अपार सम्भावनाओं को अन्तर्तम में समेटे आप महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। विद्यार्थियों में अन्तर्निहित प्रतिभा को परिनिष्ठित एवं परिमार्जित करने का कार्य महाविद्यालय करता है।

"विद्या ददाति विनयम्" अर्थात् विद्या छात्र को विनयशील बनाती है। विद्या प्राप्ति से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। महाविद्यालय में आप अपने विषय में पारंगत एवं दक्ष अध्यापकों से न केवल अपनी ज्ञान–पिपासा का शमन करेंगे वरन् शिक्षणेतर गतिविधियों यथा एन.एस.एस., एन.सी.सी., स्काउट–गाइड, मानवाधिकार, युवा–विकास, भाषा–क्लब, महिला–प्रकोष्ठ, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच एवं क्रीड़ा–क्षेत्र से सम्बंधित कला को विकसित कर उज्ज्वल एवं स्वस्थ भविष्य में सार्थक भूमिका अदा करेंगे।

मनुष्य होने के नाते हमारा प्रथम कर्त्तव्य मानवता की रक्षा तथा क्षरण होते मानव–मूल्यों की पुनर्स्थापना है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में हमें अपनी अमिट छाप छोड़नी है।

ज्ञान के अथाह सरोवर में अवगाहन करते आप व्यष्टि से समष्टि की ओर अग्रसर होते हुए उन्नति के चरम सोपान तय करें। कोरोना काल में आप सोशल–डिस्टेन्सिंग के आधार पर लोक–कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त हों, अनेक नवीन कीर्तिमानों को स्थापित करें।

अनेकानेक शुभकामनाओं सहित.....

यक़ीं रास्ता लम्बा है चलो तो सही।

क़दम उठेगा तो मन्ज़िल क़रीब आयेगी।

शुभेच्छु

डॉ. कंचना सक्सेना
प्राचार्य
राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा

विद्यार्थियों को परमावश्यक निर्देश

1. प्रवेशार्थी विवरणिका का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करें और उसमें दी गई सूचनाओं के अनुसार ही आवेदन पत्र में पूर्ति करें।
2. **आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार सत्र 2020–21 में प्रथम वर्ष स्नातक तथा स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) कला संकाय में समस्त प्रवेश कार्य ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। ऑन लाइन एडमिशन प्रोसेस (OAP) विभाग के वेब पोर्टल (hte.rajasthan.gov.in) के माध्यम से उपलब्ध Admission link के द्वारा ऑन लाइन आवेदन फार्म प्रवेश कार्यक्रमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। प्रवेश प्रक्रिया, फार्म भरने के निर्देश तथा तिथियों आदि की जानकारी प्रवेश नीति के अनुसार वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगी। स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) में प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय में किसी भी प्रकार के आवेदन की हार्डकॉपी स्वीकार नहीं की जायेगी। सत्र 2014–15 से आयुक्तालय द्वारा एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया लागू कर दी गई है। इसलिए सत्र 2020–21 में भी द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के लिए नवीनीकरण (अण्डरटेकिंग) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने सम्बन्धी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब ऐसे विद्यार्थियों को 30 जून, 2020 तक सत्र का शुल्क ई–मित्र पर जमा करवाना अनिवार्य है। अन्य पात्रता शर्तों की पूर्ति होने की स्थिति में वह प्रवेशित माना जायेगा। अधिक जानकारी हेतु विद्यार्थी आयुक्तालय द्वारा जारी " प्रवेश नीति " का ऊपर लिखित वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं ।**
3. **महाविद्यालय भवन तथा सम्पूर्ण परिसर की सुरक्षा, स्वच्छता आदि के लिए सभी छात्र–छात्राऐं वचनबद्ध हैं। महाविद्यालय को किसी प्रकार से विकृत करने वाले व्यक्तियों को किसी भी परिस्थिति में क्षमा नहीं किया जायेगा।**
4. नियमित रूपेण प्रवेश के पश्चात् पहचान पत्र (Identity Card) एवं प्रवेश शुल्क रसीद आपको अनवरत साथ रखने होंगे। माँगे जाने पर यह दिखाना अनिवार्य होगा। यह इसलिए आवश्यक है कि कुछ बाह्य तत्व जो महाविद्यालय से सम्बद्ध नहीं है, छात्र शक्ति का दुरूपयोग करते हैं। आपको उन्हें अलग–थलग करना होगा।
5. महाविद्यालय के सभी कार्य निर्बाध तथा अनिवार्य रूप से शैक्षणिक सत्र–सारिणी (Academic Calender) से संचालित होंगे। इसे वेद वाक्य मानकर व्यवहार निष्ठ रहें। प्रवेश, छात्रसंघ चुनाव तथा परीक्षाऐं आदि सभी इस कैलेण्डर से अविच्छिन्न जुड़े हुऐ हैं। इनमें परिवर्तन की आशा अथवा अपेक्षा न करें।
6. **छात्रसंघ के चुनाव के दौरान, महाविद्यालय की सुरक्षा तथा सुन्दरता के प्रति आपको विशेष रूप के कृत संकल्प रहना है। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण राष्ट्र बदल चुका है। आप भी अपने को यथानुरूप ढ़ालें तथा भवन और परिसर को विकृत न करें। यह आपकी आचार संहिता की आधार–भित्ति है। सुस्पष्ट रूप से आप यह भी ध्यान रखें कि ऐसा सद्व्यवहार एवं आचरण कानूनी दृष्टि से भी अनिवार्य है। छात्रसंघ चुनाव अभियान के सन्दर्भ में, हर दृष्टि से आपको माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार के आदेशों का शत– प्रतिशत पालन करना होगा।**
7. रैगिंग के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि यह कानूनन अपराध है , हर दृष्टि से आपको माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की शत–प्रतिशत पालना करनी होगी।

8. परीक्षा से पूर्व पुस्तकालय की सभी पुस्तकें तथा कार्ड, अन्यान्य विभागों से ली गई समस्त सामग्री लौटाकर अदेय प्रमाण–पत्र (No dues Certificate) लेना होगा। किसी पुस्तक तथा वस्तु के खो जाने की अवस्था में उसका पुनर्भरण आप करेंगे।
9. सूचना पट्ट नित्य देखने की आदत डालें। आवश्यक निर्देश वहाँ लगाये जाते रहेंगे। उनके न देखने की स्थिति में, यदि आप किसी सुविधा से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
10. साईकिल स्टेण्ड महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधा है, फिर भी वाहन के नुकसान की स्थिति में महाविद्यालय पुनर्भरण के लिए वचनबद्ध नहीं है।
11. **आवेदन पत्र के साथ छात्रों को मूल प्रमाण – पत्र नहीं लगाना है। प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रतियाँ छात्रों द्वारा आवेदन पत्र के साथ लगानी होंगी।**
बोनस अंक हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिये तथा प्रवेश से सम्बन्धित शेष सभी प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकायें छात्र द्वारा स्वप्रमाणित होनी चाहिये। इसके अभाव में यदि कोई छात्र उक्त लाभ से वंचित रहता है तो उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। एक बार आवेदन पत्र जमा कराने के बाद कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना संभव नहीं होगा।
12. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार स्नातक स्तर पर कला संकाय में अनिवार्य विषय के रूप में सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, प्रारम्भिक कम्प्यूटर शिक्षा तथा पर्यावरण अध्ययन एवं आपदा प्रबंधन(Enviromental Studies & Disaster Management) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
13. प्रथम वर्ष कला हेतु प्रत्येक छात्र को ऐच्छिक विषयों का चयन करते समय वरीयता क्रम के अनुसार प्रत्येक ग्रुप से एक विषय को चुनते हुए कुल पाँच विषय –समूहों का चयन करना है छात्र द्वारा वरीयता क्रमानुसार चाहे गये विषय में स्थान रिक्त न रहने की स्थिति में उसे जिन विषयों में स्थान रिक्त हैं, वे विषय आंवटित कर दिये जायेंगे। महाविद्यालय के प्रत्येक विषय में जितने छात्रों की संख्या निश्चित है, उतने ही स्थानों पर राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश देय होगा।
14. प्रायोगिक परीक्षा देने वाले पूर्व छात्रों (Ex- Students) को प्रायोगिक कार्य करने के लिए प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। नियमित छात्र के रूप में यह सुविधा वे पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं।
15. प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना पट्ट देखना चाहिए। प्रत्येक टर्म के अन्त में उपस्थिति की सूचना महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर लगायी जायेगी। सूचना प्राप्त न होने का दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति कम होने पर विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
16. स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्तातकोत्तर पूर्वार्द्ध ऑनलाईन आवेदन हेतु समस्त प्रक्रिया की तिथियों के लिए प्रवेश नीति के **"ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक सत्र सारणी, सह–शैक्षणिक एवं छात्रवृत्ति कलैण्डर (सत्र 2020–21)"** का अवलोकन करें।
17. प्रवेश–नीति 2020–21 में पात्रताधारी प्रवेशार्थियों का आवेदन–पत्र ही पंजीकृत किया जायेगा। न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत सत्र 2020–21 के प्रवेश हेतु निम्नानुसार होगा :–

स्नातक कक्षाओं के लिए –

क्रम संख्या	संकाय	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत	
		सामान्य पाठ्यक्रम (पास कोर्स)	ऑनर्स पाठ्यक्रम
(अ)	कला	45	48
(ब)	राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो।	60	60

स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए –

क्रम संख्या	अभ्यर्थियों का प्रकार	पाठ्यक्रम	प्राप्तांक मानदण्ड	पात्रता
(अ)	राजस्थान में अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण	एम.ए.	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	समस्त संकायों के अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण
(ब)	राजस्थान राज्य के बाहर अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी	सभी संकाय	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक	एम.ए./एम.कॉम. के लिए अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण तथा एम.एससी. के लिए आवेदित विषय के साथ विज्ञान संकाय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण।

नोट : यदि सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अध्यादेश में न्यूनतम प्रतिशत का प्रावधान उपर्युक्त प्रस्ताव से भिन्न हो तो अध्यादेश के अनुसार ही न्यूनतम प्रतिशत मान्य होगा।

18. विधि संकाय सहित प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. के प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (**MBC**) (चिकनी परत को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है {सदंर्भ कार्मिक(क–2)विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा–4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे (सदंर्भ कार्मिक(क–2)विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा–4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}

19. आवेदन पत्र पर छात्र/छात्रा के पिता/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रत्येक असत्य विवरण का उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा।
20. प्रवेश प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र जमा कराते समय कोई पंजीयन शुल्क नहीं लिया जायेगा। प्रवेशार्थी को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद लेना आवश्यक है।
21. प्रवेश में योग्यता सूची तैयार करने के लिए खेल–कूद एवं अन्य शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक गतिविधियों के लिए नियमानुसार लाभ दिया जायेगा । ऐसे प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रवेश आवेदन पत्र के साथ लगानी होंगी।
22. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद एवं अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त करने वाले छात्रों को न्यूनतम उत्तीर्णाकों पर प्रवेश का प्रावधान प्रवेश हेतु किया हुआ है। केवल वास्तव में योग्य छात्र ही इसका लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए केवल राज्य स्तरीय क्रीड़ा परिषद् अथवा जिला क्रीड़ा परिषद् के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण – पत्रों के आधार पर ही यह लाभ दिया जायेगा, इस हेतु विद्यार्थी को एक शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसे उल्लेख करना होगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र सही नहीं पाये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाये तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।
23. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण –पत्र तथा फोटो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लौटाये जायेंगे।
24. प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण रूपेण भरा हुआ प्रवेशार्थी द्वारा स्वयं अथवा उसके अभिभावक द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा कराना होगा।
25. सेवारत प्रार्थी अपने नियोक्ता अधिकारी का अनापत्ति पत्र संलग्न करें, अन्यथा प्रवेश अवैध समझा जायेगा, जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
26. प्रवेशार्थियों को प्रवेश प्रणाली के संबंध में अगर कोई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी हो तो वे महाविद्यालय में छात्र सलाहकार समिति से सम्पर्क करें।
27. स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख होना आवश्यक हैं –

(क) अर्हकारी परीक्षा की अंक तालिका, स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र तथा चरित्र प्रमाण –पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियाँ। प्रवेश होने पर शुल्क के साथ ही इनकी मूल प्रति जमा करानी होगी।

(ख) सैकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र या अंक तालिका की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।

(ग) विश्वविद्यालय परिवर्तन का मूल प्रवर्जन –प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) जो छात्र/छात्राऐं संबंधित विश्वविद्यालय के क्षेत्र के बाहर से आ रहे हैं, (यदि हों) अन्यथा यह प्रवेश के एक माह में जमा करना होगा।

(घ) यदि छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.जा. का/की है तो उसकी पुष्टि में जिला कलक्टर/प्रथम श्रैणी के दण्डनायक/तहसीलदार का स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें।

(ड़) जिनके अभिभावक राजस्थान सरकार के ऐसे कर्मचारी हों जो आयकर दाता नहीं हैं, उससे संबंधित प्रमाण –पत्र देने पर शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(च) आय का विवरण – पत्र।

(छ) खेल आदि में विशेष योग्यता का राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र जिनके आधार पर बोनस अंक प्रतिशत चाहा गया है।

(ज) प्रवेश आवेदन पत्र एवं नवीनीकरण प्रपत्र के साथ प्रत्येक विद्यार्थी तीन पोस्टकार्ड मय घर का पता लिखे हुये आवश्यक रूप से जमा करावें।

28. प्रवेशार्थी को प्रवेश यथा सम्भव उसकी मेरिट के आधार पर दिया जावेगा।
29. प्रत्येक प्रवेशार्थी निर्धारित फीस जमा करायेगा व महाविद्यालय की वे सभी औपचारिकताऐं पूरी करेगा जो महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवश्यक हैं।
30. महाविद्यालय में प्रवेश के द्वारा प्रवेशित छात्रों के प्रमाण पत्रों की जाँच महाविद्यालय के द्वारा की जावेगी और यदि कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है अथवा विद्यार्थी के द्वारा पूर्व में दी गई सूचनाऐं सही नहीं पाई जाती हैं तो महाविद्यालय इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी करने के उपरान्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा/एवं उसके विरूद्ध अन्य कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्णय लेगा।
31. **प्रवेश हो जाने के पश्चात् विषय परिवर्तन के लिए आवेदनकर्ता विद्यार्थी को मात्र एक विषय के परिवर्तन की अनुमति मात्र एक बार दी जा सकेगी। यदि उस विषय/विषय – संयोजन (Subject Combination) में स्थान उपलब्ध हों। विषय/संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित समय अवधि (प्रवेश कार्यक्रम में उल्लेखित) में 200/– शुल्क के साथ आवदेन पत्र जमा कराने होगें।**
32. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रवेश नहीं होगा।
33. महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद यदि किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया, उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया या प्रवेश आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना पाई गई, महाविद्यालय नियमों का उल्लघंन किया, अपने पिता/पति/संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये अथवा स्वयं के हस्ताक्षर किये तो उसका यह कार्य अत्यन्त अवांछनीय होने के कारण दण्डनीय अपराध समझा जायेगा, उसका प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा।
34. महाविद्यालय के प्राचार्य, को यह अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर बिना कारण बताये आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दें/ प्रवेश निरस्त कर दें।
35. **अपने मूल प्रलेख महाविद्यालय में जमा करवाने से पूर्व उनकी पर्याप्त सत्यापित प्रतिलिपियाँ आप अपने पास रख लें। प्रवेश के पश्चात् मूल प्रलेख तुरन्त लौटाना सम्भव नहीं होगा।**
36. **प्रवेशार्थी छात्रवृत्ति के लिए नयापुरा स्थित किसी भी बैंक की शाखा में खाता खुलवाकर स्वयं का खाता संख्या संबंधित लिपिक को नोट करवा देवें, ताकि उनकी छात्रवृत्ति सीधे बैंक में उनके खाते में जमा की जा सके।**
37. ड्राफ्ट द्वारा जमा होने वाली फीस का ड्राफ्ट नयापुरा (कोटा) परिक्षेत्र में स्थित किसी भी बैंक की शाखा एवं कोटा में भुगतान योग्य ही मान्य होगा।

प्रथम वर्ष कला में विषय चयन हेतु आवश्यक निर्देश

प्रतिबंधित विषय–समूह

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के अनुसार बी.ए. पार्ट प्रथम की वर्ष 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये नीचे दी गयी सारिणी के कालम नं. 1 में वर्णित विषय के सामने कालम नं. 2 में दर्शाये गये विषय लेना प्रतिबन्धित है –

कालम नं. 1	**कालम नं. 2**
हिन्दी साहित्य	उर्दू
लोक प्रशासन	चित्रकला
इतिहास	गणित
अर्थशास्त्र	चित्रकला
भूगोल	दर्शनशास्त्र
राजनीति विज्ञान	गणित
उर्दू	गणित
संस्कृत	उर्दू

नोट :– हिन्दी , संस्कृत व अंग्रेजी साहित्य तीनों एक साथ नहीं लिये जा सकते हैं।

शैक्षणिक सूचना

संचालित संकाय, विषय एवं उपलब्ध सीटों का विवरण– इस महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में स्वीकृत वर्गों व स्थानों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित है –

कक्षा	स्वीकृत वर्ग	कुल स्थानों की संख्या
बी.ए. पार्ट – प्रथम	28	2800 (सत्र 2020–21 के लिए)
एम.ए. (पूर्वार्द्ध) चित्रकला	01	30
एम.ए. (पूर्वार्द्ध) हिन्दी	01	60
एम.ए. (पूर्वार्द्ध) संस्कृत	01	60
एम.ए. (पूर्वार्द्ध) उर्दू	01	60
एम.ए. (पूर्वार्द्ध) अंग्रेजी	01	60
एम.ए. (पूर्वार्द्ध) भूगोल	01	60
एम.ए. (पूर्वार्द्ध) इतिहास	01	60
एम.ए. (पूर्वार्द्ध) राजनीति विज्ञान	01	60
एम.ए. (पूर्वार्द्ध) अर्थशास्त्र	01	60
एम.ए. (पूर्वार्द्ध) समाजशास्त्र	01	60
एम.ए. (पूर्वार्द्ध) लोकप्रशासन	01	60

नोट : राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रवेश नीति 2020–21 के पृष्ठ संख्या 22 से 25 पर अंकित विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।

संकायवार / विषयवार स्वीकृत वर्ग

महाविद्यालय में बी.ए.पार्ट प्रथम में वैकल्पिक विषयवार वर्गो की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की गयी है –

क्र.सं.	विषय	वर्ग	सीटें (सत्र 2020–21 के लिए)
1.	चित्रकला	02	200
2.	अर्थशास्त्र	03	300
3.	अंग्रेजी	03	300
4.	भूगोल	12	1200
5.	हिन्दी	11	1100
6.	इतिहास	11	1100
7.	दर्शनशास्त्र	01	100
8.	राजनीति विज्ञान	12	1200
9.	लोक प्रशासन	11	1100
10.	संस्कृत	05	500
11.	समाज शास्त्र	12	1200
12.	उर्दू	01	100

उपलब्ध विषय एवं विषय–समूह

महाविद्यालय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं :–

(1) स्नातक कक्षाऐं (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम

प्रथम वर्ष कला – महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के लिए 28 वर्ग स्वीकृत हैं तथा प्रत्येक वर्ग में अधितकतम छात्र संख्या 100 (सत्र 2020–21 के लिए) है।

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा प्रतिबन्धित विषय समूह को छोड़कर छात्र किसी भी विषय समूह का चयन कर सकता है। प्रथम वर्ष कला हेतु प्रत्येक छात्र को ऐच्छिक विषयों का चयन करते समय वरीयता क्रम के अनुसार अधोलिखित प्रत्येक ग्रुप से एक विषय को चुनते हुए कुल पाँच विषय–समूहों का चयन करना है। छात्र द्वारा वरीयता क्रमानुसार चाहे गये प्रथम तीन विषयों/विषय–समूह में स्थान रिक्त नहीं रहने की स्थिति में उसे महाविद्यालय द्वारा जिन विषयों में स्थान रिक्त हैं, वे विषय/विषय–समूह आवंटित कर दिये जायेंगे। महाविद्यालय के प्रत्येक संकाय/विषय में जितने छात्रों की संख्या निश्चित है, उतने ही स्थानों पर राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश देय होगा। कला संकाय में निम्नलिखित विषय/विषय समूह उपलब्ध है। उपलब्ध स्थानों पर वरीयता के अनुसार विषयों का आवंटन किया जायेगा।

ग्रुप 'ए'	ग्रुप 'बी'	ग्रुप 'सी'
भूगोल	राजनीति विज्ञान	इतिहास
समाजशास्त्र	लोक प्रशासन	हिन्दी
अंग्रेजी	अर्थशास्त्र	संस्कृत
दर्शनशास्त्र	चित्रकला	उर्दू

(2) स्नातकोत्तर कक्षाऐं –

कला संकाय – स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के विभिन्न विषयों यथा हिन्दी, संस्कृत, उर्दू , अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं लोक प्रशासन प्रत्येक में एक वर्ग स्वीकृत है तथा प्रत्येक विषय में छात्रों की अधिकतम संख्या 60 निर्धारित है। जबकि चित्रकला विषय में एक वर्ग स्वीकृत हैं, जिसमें अधिकतम सख्या 30 निर्धारित हैं।

(3) एम.फिल.

(क) कला संकाय के अर्थशास्त्र एवं संस्कृत विषयों में यह पाठ्यक्रम राजकीय स्कीम में उपलब्ध है।

(ख) **स्ववित्त पोषी योजना** :– आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ 4 (26) आयो./आकाशि 75/10–19 दिनांक 10 जनवरी , 2008 के द्वारा ''महाविद्यालय विकास समिति'' के तत्वावधान में ''स्ववित्त पोषी योजना'' के तहत 08 विषयों – भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, उर्दू, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य और लोक प्रशासन में एम.फिल. पाठयक्रम 2008–2009 से प्रारम्भ हो चुका है। इस स्ववित्त पोषी योजना में प्रति विद्यार्थी शुल्क भूगोल विषय में 12000/– रू. और इतिहास, राजनीति विज्ञान, उर्दू, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य एवं लोक प्रशासन विषयों में 9000/– रू. प्रति विद्यार्थी शुल्क आयुक्तालय द्वारा निर्धारित किया गया है।

नोट – किसी भी विषय में एम.फिल. प्रवेश हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मानदण्ड एवं अपने सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश–प्रक्रिया अपनायेंगे।

शुल्क भुगतान संबंधी सूचनाऐं

आवश्यक सूचना :– महाविद्यालय में शुल्क आदि लेन–देन का समय प्रत्येक कार्य दिवस प्रात : 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक है :

निर्धारित समय के पश्चात् शुल्क संबंधी लेन देन नहीं किया जायेगा।

महाविद्यालय शुल्क (शैक्षणिक एवं अन्य)

In Rupees

Main Head	Sub-Head	Fee Type	General Boys	General Girls	SC/ST /OBC /MBC (Boys)	SC/ST /OBC /MBC (Girls)
Govt. Fees	1	Tution Fee UG	180	--	--	--
	2	Tution Fee PG	240	--	--	--
	3	Lab Fee UG Arts (Practical)	150	150	150	150
	4	Lab Fee PG Arts (Practical)	200	200	200	200
Other Fees	5	Mahavidhyalaya Vikas Samiti Fee	150	150	150	150
	6	Campus Cleaning	30	30	30	30
	7	Insurance Fee	50	50	50	50
			-	-	-	-
Boys Fund	8	Caution Money	100	100	100	100
	9	Library Fee	130	130	130	130
	10	Student Activities	175	175	175	175
	11	General Purpose Fee	385	385	385	385
	12	Games Fee	120	120	120	120
	13	Student Union	100	100	100	100
	14	Parking Fee	30	30	30	30
	15	Girls Association Fee	--	20		20

विश्वविद्यालय कोष :

1. विश्वविद्यालय नामांकन (Enrolment) शुल्क प्रवेश के साथ (केवल उन छात्रो से जिनका कोटा विश्वविद्यालय में नामांकन नही हुआ है।) रु. 150.00
2. पात्रता प्रमाण पत्र शुल्क (Eligibility) रु. 150.00
(अन्य राज्य के बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों से)

अन्य शुल्क सभी छात्रों से

राजकीय कला महाविद्यालय विकास समिति, कोटा द्वारा लिये गये निर्णयानुसार महाविद्यालय में अधोलिखित कार्यों हेतु निम्नानुसार शुल्क का निर्धारण किया गया है:–

01.दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु शुल्क (शुल्क महाविद्यालय विकास समिति में जमा होगा)	
(i) राजस्थान राज्य के संस्थानों में छात्र के दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु	रू. 300/–
(ii) राजस्थान राज्य से बाहर देश की अन्य संस्थाओं द्वारा छात्र के दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु	रू. 500/–
(iii) विदेशी संस्था में छात्र के दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु	रू. 800/–
02.अंकतालिका शुल्क	
(i) विश्वविद्यालय की अंकतालिका महाविद्यालय में प्राप्ति मास के अगले मास की प्रथम तिथि से एक वर्ष की अवधि तक	शुल्क दर शून्य
(ii) विश्वविद्यालय की अंकतालिका दूसरे वर्ष की अवधि में	रू. 50/–
(iii) विश्वविद्यालय की अंकतालिका तीसरे वर्ष की अवधि में	रू. 100/–
(iv) विश्वविद्यालय की अंकतालिका इसके पश्चात् प्रति वर्ष 50/– रूपये की वृद्धि करते हुए शुल्क लिया जायेगा।	
03.उपाधि शुल्क	
(i) विश्वविद्यालय की डिग्री/उपाधि महाविद्यालय में प्राप्ति मास के अगले मास की प्रथम तिथि से एक वर्ष की अवधि तक	शुल्क दर शून्य
(ii) विश्वविद्यालय की डिग्री/उपाधि दूसरे वर्ष की अवधि में	रू. 100/–
(iii) विश्वविद्यालय की डिग्री/उपाधि तीसरे वर्ष की अवधि में	रू. 200/–
(iv) विश्वविद्यालय की डिग्री/उपाधि इसके पश्चात् प्रति वर्ष 100/– की वृद्धि करते हुए शुल्क लिया जायेगा।	
04.स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र शुल्क	
(i) स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र शुल्क	रू. 20/–
(ii) स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र शुल्क (दूसरी प्रति)	रू. 30/–
05.चरित्र प्रमाण–पत्र शुल्क	रू. 20/–
06.परिचय–पत्र खो जाने पर	रू. 100/–
07.अध्ययन प्रमाण–पत्र	रू. 20/–
08.परीक्षा के समय मोबाइल/बैग रखने हेतु शुल्क–	
(i) प्रत्येक मोबाइल हेतु	रू. 10/–
(ii) प्रत्येक बैग हेतु	रू. 20/–

नोटः– समस्त वार्षिक शुल्क प्रवेश के समय एक साथ अग्रिम लिया जाता है। किसी भी दशा में नगद जमा कराया गया शुल्क वापस देय नहीं है।

1. शिक्षण शुल्क 12 मास के लिये लिया जाता है।
2. पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर कोई शुल्क वापस देय नहीं है।
3. किसी विद्यार्थी का चयन आर.पी.ई.टी./आर.पी.एम.टी./आई.आई.टी./ए.आई.ई.ई.ई. या अन्य मान्यता प्राप्त तकनीकी महाविद्यालय में होने पर 31 अक्टूबर तक कम्प्यूटर का आधा शुल्क ही वापस किया जायेगा।
4. समय–समय पर राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्यवाही अपेक्षित रहेगी।
5. **विगत परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की अवस्था में परिणाम घोषित होने की तिथि से एक माह की अवधि में जमा शुल्क लौटाया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात शुल्क लौटाया जाना सम्भव नहीं होगा।**
6. शुल्क हेतु माता/पिता दोनों की वार्षिक आय को ध्यान में रखा जायेगा। यह सीमा कर योग्य आय (Assessable Income) पर लागू होगी।
7. समस्त छात्राऐं/अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्र शिक्षण शुल्क से मुक्त हैं।

8. साईकिल स्टेण्ड सुविधा की फीस समस्त छात्र/छात्राओं को देना अनवार्य है।
9. आयकर नहीं देने वाले राजस्थान राज्य, पंचायत समिति, जिला परिषद कर्मचारी (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) पर आश्रित छात्र शिक्षण तथा प्रवेश शुल्क से मुक्त हैं।

(i) '**आश्रित**' से तात्पर्य पत्नी, पुत्र, दत्तक अथवा औरस संतान, राज्य कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित अविवाहित पुत्रियों से है।

(ii) शुल्क मुक्ति हेतु माता व पिता दोनों की आय को ध्यान में रखा जायेगा।

(iii) आयकर की गणना हेतु अपने माता/पिता/संरक्षक की आयकर रिर्टन की प्रति लगाना आवश्यक है।

10. राज्य सेवा से निवृत्त कमचारियों के आश्रितों को शिक्षण शुल्क मुक्ति लाभ देय नहीं।
11. जो छात्र स्वंय राज्य कर्मचारी है एवं आयकर नहीं देते हैं उन्हें नियम (Service Conduct Rules) के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त, परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रस्तुत करने पर ही शिक्षण शुल्क से मुक्ति दी जा सकेगी अन्यथा पूर्ण शुल्क देय होगा।
12. पिता के जीवित रहते और कोई व्यक्ति छात्र का संरक्षक नही हो सकेगा।
13. शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिये आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है। बाद में प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा प्राप्त शुल्क वापस देय नही होगा।
14. रक्षित द्रव्य (Caution Money) केवल प्रथम बार प्रवेश चाहने वाले छात्रों से लिया जावेगा।
15. पात्रता प्रमाण–पत्र शुल्क कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अथवा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मण्डल के क्षेत्र से बाहर की संस्थाओं से आने वाले छात्रों से ही लिया जायेगा जो महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को भेजा जायेगा।
16. महाविद्यालय की शुल्क प्राप्ति की रसीद को सुरक्षित रखा जाये जो आवश्यकता के समय दिखाई जा सके।
17. रक्षित द्रव्य महाविद्यालय छोड़ कर जाने वाले छात्र/छात्राओं को जिन पर महाविद्यालय का कोई बकाया नहीं, लौटा दिया जायेगा। साधारणतया 15 अक्टूबर से पहले रक्षित द्रव्य नहीं लौटाया जायेगा। महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात् तक यदि छात्र द्वारा रक्षित द्रव्य नहीं लिया गया तो उस पर महाविद्यालय का अधिकार होगा।
18. महाविद्यालय में विद्यार्थी का नियमानुसार प्रवेश उसी तिथि में माना जायेगा जिस तिथि को महाविद्यालय की सम्पूर्ण राशि जमा कर कार्यालय से रसीद प्राप्त कर लेगा।
19. विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन प्रस्तुत नहीं करने की दशा में छात्र का नाम काट दिया जायेगा।

राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त एवं निरन्तर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को उनके संरक्षकों की आर्थिक स्थिति के अनुसार राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है, जो इस प्रकार है–

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा देय मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है–

1.पात्रता :

(क) केवल वे ही छात्र जो राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हों।
(ख) शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय/संकाय में अध्ययन करने पर जैसे बी.कॉम. करने के बाद बी.ए.में या एम.ए. करने के बाद किसी अन्य विषय में एम.ए. करने लगे तो ऐसे छात्र इसके पात्र नहीं होंगे।
(ग) नियोजित छात्र, जिन्होंने पाठयक्रम की सम्पूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ली हो तथा जो पूर्णकालिक छात्र के रुप में अध्ययन कर रहे हों, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे।
(घ) एक ही माता–पिता/अभिभावक के सभी बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे।
(ड़) कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं दी जाती हो।
(च) अशंकालिक पाठयक्रमों के लिये देय नहीं है।

2. राशिः छात्रवृत्ति की राशि के लिये 5 समूह निर्धारित किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं –

	समूह	छात्रावास	अछात्रावास
(क)	तकनीकी शिक्षा	425	190
(ख)	डिप्लोमा या एम.एससी.	290	190
(ग)	स्नाकोत्तर–कला, वाणिज्य	290	190
(घ)	स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय	230	120
(ड)	11 वीं, 12वीं, स्नातक पार्ट प्रथम	1050	90

3. आय जाँच

(क) माता–पिता की वार्षिक आय 38220/– होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान पूरी दर से तथा 38221/– से 50920/– के मध्य होने पर समूह 'क' को पूरी दर से और समूह ख,ग,घ,ड़, को आधी दर से किया जायेगा।
(ख) वार्षिक आय 50920/– से अधिक होने पर कोई छात्रवृत्ति देय नहीं ।

नोट : आय प्रमाण पत्र केवल एक बार लिये जाने की आवश्यकता है अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठयक्रमों में दाखिले के समय।

4. **फीस** : छात्र द्वारा संस्था या विश्वविद्यालय को दी जाने वाली फीस का भुगतान किया जायेगा, किन्तु इसमें कॉशन मनी सम्मिलित नहीं होगी।

5. **नवीनीकरण** : अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर पाठयक्रम की समाप्ति तक दी जावेगी। इसके लिये छात्रो का अच्छा आचरण और उपस्थिति में नियमितता आवश्यक है।

6. **भुगतान** : छात्र का चयन आय जाँच के आधार पर किया जायेगा। इसके बाद प्राचार्य द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किया जायेंगे। छात्रवृत्ति का भुगतान अप्रैल या नामांकन के माह से (20 तारीख बाद करने पर अगले माह से) जो भी बाद में हो, से परीक्षा पूरी होने तक प्रति माह किया जायेगा।

नोट : विद्यार्थी का आचरण असंतोषजनक होने पर या झूठी घोषणा पर अथवा गलत भुगतान किये जाने पर प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है।

आवेदन : छात्रवृत्ति के लिये आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही देय होगा, जिसमें निम्न सूचना , प्रपत्र आदि आवश्यक हैं –

(क) पासपोर्ट साईज का फोटो;

(ख) उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक तालिका /प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ;

(ग) जाति प्रमाण–पत्र (तहसीलदार या ऊपर के स्तर के अधिकारी का);

(घ) आय घोषणा पत्र :

(1) न्यायकोत्तर स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र के जरिये सभी स्त्रोतों से एक निश्चित आय का वर्णन करते हुए स्वनियोजित माता/पिता अभिभावकों के द्वारा आय घोषणा पत्र;

(2) नियोजित माता–पिता/अभिभावकों को अपने नियोजकों से आय प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) अनु.जाति/जनजाति के विकलांग छात्रों के लिये अतिरिक्त प्रावधान

(क) दृष्टिहीन छात्रों के लिये पाठक भत्ता

पाठयक्रम का स्तर	पाठक भत्ता (रु. प्रति माह)
समूह क,ख,ग	150
समूह घ	125
समूह ड़	100

(3) विकलांग छात्रों के लिये प्रति माह 100 रु. परिवहन भत्ते का प्रावधान है।

यदि वह छात्र संस्था के परिसर में स्थित छात्रावास में नहीं रहता हो।

(4) विकलांगों के लिये छात्रवृत्ति।

अंधे, बहरे अथवा शारीरिक विकलांग (आर्थोपेडिकली हेन्डीकेप्ड) छात्रों को विकलांग छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।

(5) आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ :

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति;
2. आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति;
3. अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृत्ति;
4. महिला योग्यता छात्रवृत्ति;
5. स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति;
6. मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति;
7. उर्दू छात्रवृत्ति;
8. भारत, पाक एवं चीन युद्ध मे मृत अथवा अपंग सैनिकों के बच्चों को एवं विधवाओं को देय छात्रवृत्ति;
9. ललित कला छात्रवृत्ति (संगीत संस्थान जयपुर);
10. ललित कला छात्रवृत्ति (राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस);
11. राजस्थान के पूर्व सैनिकों की पुत्रियों को महिला छात्रवृत्ति;

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रदत्त इन सभी छात्रवृत्तियों के आवेदन–पत्र निदेशालय से 50 पैसे के मूल्य में प्राप्त किये जा सकते हैं।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ

क्र. सं.	छात्रवृति	पात्रता	आय सीमा	दर प्रतिमाह छात्रावास–अछात्रावास
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर या विश्वविद्यालय में योग्यता सूची में आने पर तथा अन्य छात्रवृत्तिधारक न होने पर 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर	माता–पिता की कुल वार्षिक आय 2500 रु. से अधिक न हो (स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु आय सीमा नहीं)	100/–60/–(कक्ष II 11,12 एवं पार्ट I) 120/–90/–पार्ट (II,III) 300/– 120/– (स्नातकोत्तर)
2.	आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति	राजस्थान के विद्यार्थी जिन्होने मा.शि.बो., अजमेर सैकेण्डरी/सी. सैकेण्डर /उपाध्याय या किसी महा. से स्नात्तक परीक्षा 50% या अधिक अंको से उत्तीर्ण की हो, नवीनीकरण 50% प्राप्तांक पर।	माता–पिता की कुल वार्षिक आय 20000 रु. से अधिक न हो।	क्र.सं. 1 के अनुसार
3.	अध्यापक के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	सैकेण्डरी या सी. सैकेण्डरी की परीक्षा में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण एवं निदेशक प्राथ. शिक्षा एवं मा.शिक्षा राज., बीकानेर द्वारा चयनित।नवीनीकरण 50 प्रतिशत पर	माता–पिता की कुल वार्षिक आय 25000 रु. से अधिक न हो।	क्र.सं. 1 के अनुसार
4.	महिला योग्यता छात्रवृत्ति	सी.सैकेण्डरी, अजमेर या केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड या स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो।	अभिभवकों की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये तक	100/– 60/– (पार्ट I) 120/–90/– पार्ट (II,III) 300/– 120/– (स्नातकोत्तर)
5	स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चो को देय छात्रवृत्ति	राजस्थान स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों एवं पोते–पोतियों के अध्ययनरत होनें एवं गत परीक्षा उत्तीर्ण होने पर देय।	स्वतंत्रता सैनानियों की आय 15000/–	100/– 60/–

6	मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	राज्य सेवा में कार्य करते हुये मृत राज्य कर्मचारी के उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों के लिये	कोई आय सीमा नहीं	50/– स्नातक स्तर पर 75/– स्नातकोत्तर स्तर पर
7	उर्दू छात्रवृत्ति	स्नातक स्तर पर राजस्थान की मूल निवासी छात्राओं को 50 प्रतिशत अंकों के साथ महा. में उर्दू ऐच्छिक विषय लेकर पढ़ने पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को उर्दू विषय लेकर पढने पर	कोई आय सीमा नहीं	100/–स्नातक स्तर पर 175/–स्नातकोत्तर स्तर पर
8.	भारत एवं पाक व चीन युद्ध में मृत सैनिकों के बच्चों / विधवाओं की छात्रवृत्ति	उन युद्धों में मृतक या अर्द्धसैनिकों के बच्चों एवं विधवाओं को जो महा. में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत हैं	14,440/–	100/– 60/–
9.	ललित कला छात्रवृत्ति	राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में मध्यम/विशारद में 60 प्रतिशत या अधिक अंकों से उत्तीर्ण होकर विशारद निपुण में प्रवेश लेने पर	आयकर दाता नहीं हो	100/– 60/–
10	ललित कला छात्रवृत्ति	राजस्थान स्कूल ऑफ अकादमी/ आर्ट्स से फाउन्डेशन कोर्स 60 प्रतिशत या अधिक अंकों से उत्तीर्ण होकर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर	आयकर दाता नहीं हो	100/– 60/–
11	राजस्थान के पूर्व सैनिकों की पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति	सी.सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करके महा. में प्रवेश लेने पर	आयकर दाता नहीं हो	150/

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

वर्ष 2012 से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्याार्थियों के लिए नवीन छात्रवृत्ति प्रारम्भ की गई है। यह योजना सत्र 2020–21 में भी जारी रहेगी, जिसका आवेदन प्रपत्र, छात्रवृत्ति योजना की पात्रता शर्तें, देय छात्रवृत्ति आदि का विवरण निम्नानुसार है–

1. योजना :–

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख ऐसे छात्र/छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय ढ़ाई लाख रुपये से कम है तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है के लिए 500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने की वर्ष 2012–13 के बजट में घोषणा की गई है। यह योजना अल्प आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा का स्तर बढाने एवं सहायता प्रदान के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है।

2. योजना का नाम :–

इस योजना का नाम मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2012 होगा।

3. उद्देश्य :–

इस योजना का उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

4. योजना अन्तर्गत लाभ :–

(अ) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरीयता सूची में अल्प आय परिवारों कें पात्र छात्र/छात्राओं कों 500 रुपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात् अधिकतम 5000 रुपये वार्षिक भुगतान किया जायेगा।

(ब) इस योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र/छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षो तक ही लाभ प्रदत्त किया जावेगा एवं यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा।

5. पात्रता :–

इस योजना का लाभ उन छात्र/छात्राओं को देय होगा जो निम्न समस्त शर्तों की पूर्ति करते हों :–

(1) जिसने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उस वर्ष की उच्च माध्यमिक परीक्षा में संकायवार वरीयता (मेरिट) सूची अनुसार निम्न स्थान प्राप्त किया हुआ हो :–

कला – प्रथम स्थान से 60 % स्थान तक
विज्ञान – प्रथम स्थान से 60 % स्थान तक
वाणिज्य – प्रथम स्थान से 60 % स्थान तक

(2) उसके माता–पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000/– अथवा कम होगी।

(3) वह राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राज.उच्च/तकनीकी संस्थान मेंनियमित रूप से अध्ययनरत हैं।

(4) वह राजस्थान का मूल निवासी हो।

(5) उसे भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति अथवा समकक्ष योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं मिल रहा हो।

(6) उसका एस.बी.बी.जे. बैंक में जमा खाता हो।

6. आवेदन :–

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम जारी होने के तत्काल बाद ही निदेशक, कॉलेज शिक्षा के द्वारा बोर्ड से तीनों संकाय–यथा कला,विज्ञान एवं वाणिज्य – की क्रमशः प्रथम 75,000,55,000 एवं 20,000 छात्र/छात्राओं की मेरिट सूची प्राप्त की जावेगी एवं इन तीनों सूचियों में अंकित आखिरी छात्र के अंक संकायवार बोर्ड से प्रमाणित करावे जावेंगे जिससे कि योजनान्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं का संकायवार न्यूनतम अंक घोषित किया जा सके।

शैक्षणिक सत्र जुलाई में आरम्भ होने पर निदेशक, कॉलेज शिक्षा के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाकर इस योजनान्तर्गत आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में माँगे जावेंगे। इसका विवरण व आवेदन फॉर्म का प्रारूप निदेशक, कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट पर भी होगा। विज्ञप्ति में उस वर्ष संकायवार, न्यूनतम अंक भी अंकित होंगे।

नियमित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा, जिनके उन विज्ञापित न्यूनतम या उससे अधिक अंक हों, एवं वह इस योजनान्तर्गत पात्रता के लिए उल्लेखित समस्त शर्तों की पूर्ति करते हों, निर्धारित आवेदन पत्र (प्रपत्र ''अ'') (मय आवश्यक अभिलेख) की पूर्ति कर अपने महाविद्यालय/तकनीकी शिक्षण संस्थान (जिसमें वह उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत है) के प्राचार्य को अन्तिम तिथि तक प्रस्तुत करेंगे।

संस्था प्रधान आवेदन–पत्र में संलग्न अंकतालिका का अपनी संस्था में उपलब्ध मूल अंकतालिका से मिलान कर, एवं अन्य वांछित तथ्यों को सत्यापित कर समस्त पात्र आवेदन पत्रों (जो घोषित न्यूनतम अंक तक हों) अपने जिले के नोडल अधिकारी (प्रपत्र ''स'') को दिनांक अन्तिम तिथि तक प्रेषित करेंगे।

7. स्वीकृति :–

संबंधित नोडल अधिकारी अपने जिले से सम्बन्धित प्राप्त सभी आवदन पत्रों का पुनः परीक्षण करेंगे एवं निदेशक, कॉलेज शिक्षा द्वारा संकायवार प्रेषित कट–ऑफ सूची से मिलान कर सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन छात्र/छात्रा का नाम उसमें सम्मिलित है। उस जिले में योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु पात्र कुल छात्र संख्या से निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को सूचित करेंगे एवं निदेशालय से प्राप्त अनुमति पश्चात् स्वीकृति जारी कर सम्बन्धित छात्र/छात्रा एवं बैंक को स्वीकृति की प्रति प्रेषित करेंगे।

स्वीकृति संख्या अनुसार निदेशालय द्वारा नोडल अधिकारी को बजट स्वीकृत किया जावेगा एवं नोडल अधिकारी द्वारा तदनुसार बैंक का चयनित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में माहवार छात्रवृत्ति राशि क्रेडिट करने के निर्देश दिये जावेंगे।

8. छात्रवृत्ति की निरन्तरता की प्रक्रिया :–

छात्रवृत्ति राशि का भुगतान पाँच वर्ष की अवधि अथवा उच्च/तकनीकी अध्ययन जारी रखने तक, जो भी पहले हो देय होगी, परन्तु चयनित छात्र को प्रति वर्ष इसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है, जिससे कि यह प्रमाणित किया जा सके कि नियमित अध्ययनरत उच्च शिक्षा जारी है।इस हेतु छात्र/छात्रा को प्रपत्र ''ब'' में आवेदन पत्र भर कर अपने संस्था प्रधान को नियत तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। आवदन पत्र के साथ पूर्व वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक तालिका की प्रति संलग्न हो। संस्था प्रधान सत्यापित कर आवेदन पत्र को नोडल अधिकारी को अन्तिम तिथि तक प्रेषित कर देंगे।

राजस्थान सरकार प्रपत्र–''अ''

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2012 हेतु आवेदन

प्राचार्य द्वारा सत्यापित फाटो

1. छात्र/छात्रा का नाम :.....
2. पिता का नाम :.....
3. जन्म तिथि :.....
4. जाति : सामान्य/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एस.बी.सी./अल्प संख्यक
5. पत्र व्यवहार का पता :.....
6. स्थायी पता मय फोन नं. :.....
7. एस.बी.बी.जे. के बैंक खाता संख्या मय बैंक का पूर्ण पता :.....
8. मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न : हाँ/नहीं
   (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. अध्ययनरत महाविद्यालय का नाम, कक्षा व संकाय :.....
   (फीस जमा रसीद की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12 वीं कक्षा का परिणाम :

परीक्षा वर्ष	रोल नं.	संकाय विज्ञान/कला/वाणिज्य	प्राप्तांक	प्रतिशत	विद्यालय का नाम	वरीयता क्रमांक

(अंकतालिका की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

11. पिता का व्यवसाय :.....
12. पिता–माता/अभिभावक की वार्षिक आय :.....
    (तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न करें जो एक वर्ष से अधिक पुराना ना हों)
13. राज्य सरकार /भारत सरकार से अन्य कोई छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही हो के सम्बन्ध में 10 रुपये के नॉनज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित कराकर शपथ पत्र संलग्न हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 13 तक में अंकित की गई समस्त सूचनाऐं पूर्णतया सही हैं। यदि सूचनाऐं असत्य पायी जायें तो मैं प्राप्त राशि वापिस राजकोष में जमा कराने का वचन देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा

संलग्न :–

1. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12 वीं की अंकतालिका की सत्यापित प्रति।
2. तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
3. मूल निवास प्रमाण पत्र।
4. अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने बाबत 10 रुपये के नॉनज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित कराकर शपथ पत्र।
5. एस.बी.बी.जे. के बचत खाता की पास बुक की फोटो प्रति जिसमें नाम व खाता संख्या स्पष्ट अंकित हो।
6. वर्तमान उच्च शिक्षण संस्था में अध्ययनरत हेतु फीस जमा रसीद की सत्यापित प्रति।
7. आधार कार्ड की प्रति।
8. प्रवेश शुल्क की रसीद की प्रति।

संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा .....पुत्र/पुत्री श्री..... .....ने वर्ष ..... के लिए इस महाविद्यालय की कक्षा..... संकाय..... दिनांक..... को प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है एवं उसका इनरोलमेंट नम्बर.....है।
2. छात्र/छात्रा द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 20..... की 12 वीं कक्षा की मार्कशीट जो संलग्न की है, उसका मूल मार्कशीट से मिलान कर लिया गया है, एवं सत्यापित की जाती है।
3. आवेदक द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12 वीं की परीक्षा के विज्ञान/कला/वाणिज्य संकाय में कुल ..... अंक प्राप्त किये हैं, जो निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा घोषित उस संकाय के न्यूनतम कटऑफ अंक से अधिक/बराबर हैं।
4. इस संस्था को जानकारी नहीं है कि आवेदक को राज्य सरकार /भारत सरकार द्वारा अन्य किसी योजना में छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
5. आवेदक द्वारा वाँछित उपरोक्त समस्त छः संलग्नक प्रमाण पत्र आदि आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिये गये है।

हस्ताक्षर मय सील संस्था प्रधान

राजस्थान सरकार

प्रपत्र–''ब''

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2012

निरन्तर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन पत्र

प्राचार्य द्वारा सत्यापित फाटो

1. छात्र/छात्रा का नाम :.....
2. पिता का नाम :.....
3. जन्म तिथि :.....
4. जाति : सामान्य/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एस.बी.सी./अल्प संख्यक
5. पत्र व्यवहार का पता :.....
6. स्थायी पता मय फोन नं. :.....
7. एस.बी.बी.जे. के बैंक खाता संख्या मय बैंक का पूर्ण पता :.....
8. अध्ययनरत महाविद्यालय का नाम, कक्षा व संकाय :.....
   (फीस जमा रसीद की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
9. उच्च शिक्षण संस्थान का गत परीक्षा परिणाम :.....
   (यदि विगत परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित किये हों)

परीक्षा वर्ष	कक्षा व रोल नं.	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत

(अंकतालिका की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10. राज्य सरकार /भारत सरकार से अन्य कोई छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही हो के सम्बन्ध में 10 रुपये के नॉनज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नाटेरी से प्रमाणित कराकर शपथ पत्र संलग्न हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 10 तक में अंकित की गई समस्त सूचनाऐं पूर्णतया सही हैं। यदि सूचनाऐं असत्य पाई जायें तो मैं प्राप्त राशि वापिस राजकोष में जमा कराने का वचन देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा

संलग्न :–

1. अध्ययनरत शिक्षण संस्थान की गत वर्ष की अंकतालिका की सत्यापित प्रति।
2. अन्य कोई छात्रवत्ति नहीं प्राप्त करने बाबत 10 रुपये के नॉनज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नाटेरी से प्रमाणित कराकर शपथ पत्र।
3. वर्तमान उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हेतु इस सेमेस्टर की फीस जमा रसीद की सत्यापित प्रति।
4. शुल्क रसीद की प्रति।
5. आधार कार्ड की प्रति।

संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा .....पुत्र/पुत्री श्री..... ..... ने गत वर्ष इस महाविद्यालय की कक्षा ..... संकाय..... में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया है एवं परीक्षा उत्तीर्ण की है।
2. छात्र/छात्रा द्वारा गत परीक्षा की मार्कशीट जो संलग्न की है, वह सत्यापित की जाती है।
3. इस संस्था को जानकारी नहीं है कि आवेदक को राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा अन्य किसी योजना में छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
4. आवेदक द्वारा वाँछित उपरोक्त समस्त तीन संलग्नक प्रमाण पत्र आदि आवेदन–पत्र के साथ संलग्न कर दिये गये हैं।

हस्ताक्षर मय सील
संस्था प्रधान

सह–शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर गतिविधियाँ

खेलकूद, एन.एस.एस., एन.सी.सी., गोष्ठियाँ, परिसंवाद, स्काउट केम्प्स् एवं रैली, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान इत्यादि हमारी शिक्षा व्यवस्था का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग हैं। यह विभिन्न शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ पाठ्यक्रम को क्रमोत्तर एवं अत्याधुनिक गतिशीलता प्रदान करने में निर्विवाद रूप से आवश्यक हैं। इन विविध कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में आप अविच्छिन्न रूप से जुड़ें तो आपको अनुभव होगा कि आपकी शिक्षा निश्चित ही सोद्देश्य है।

विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. या रोवर स्काउटिंग में से किसी एक का चयन करना अनिवार्य है। प्रवेश के लिए सम्बंधित प्रभारी प्राध्यापक से सम्पर्क करें।

1. खेलकूद

इस महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए विभिन्न खेल–कूद गतिविधियों की सुविधा प्राप्त है। शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा से मानसिक एवं शारीरिक शिक्षा से शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास से ही मानसिक विकास सम्भव है, इस प्रयोजन हेतु महाविद्यालय में खेल–कूद गतिविधियों का संचालन किया जाता है। क्रिकेट, फुटबाल, वॉलीबाल, बास्केटबाल, हैण्डबाल, हॉकी, बैडमिन्टन, कबड्डी, खो–खो, टेबिल टेनिस, टेनिस, जूडो, बॉक्सिंग, कुश्ती, तैराकी, शतरंज, एथलेटिक्स, क्रॉसकन्ट्री, भारोत्तोलन आदि की सुविधाऐं ही प्राप्त नहीं हैं बल्कि यह एक ऐसा महाविद्यालय है जिसके छात्र खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, संयुक्त विश्वविद्यालय, रणजी ट्राफी, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर महाविद्यालय को गौरव प्रदान किया है।

यह एक ऐसा महाविद्यालय है जो सम्पूर्ण खेलों में अन्तरमहाविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेता है और कई खेलों में विजेता, उपविजेता भी रहा है।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

इस महाविद्यालय में हम राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे सम्पूर्ण छात्र शक्ति सामाजिक पुर्ननिर्माण एवं पुर्नरुद्धार में सक्रिय रुप से भागीदार बन सके। इसके अन्तर्गत विभिन्न समाज सेवायें, महाविद्यालय में श्रमदान, प्रौढ़ शिक्षा, अस्पताल सेवा, ग्राम सेवा एवं शिविर आदि गतिविधियाँ आयोजित होती रहती हैं। कार्यक्रम का मुख्य सिद्धांत यह है कि इसका आयोजन छात्र स्वयं करते हैं और छात्र और अध्यापक दोनों की समाज सेवा में अपनी सहभागिता से राष्ट्रीय विकास के कार्य में संलग्न होने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त छात्र विशेषकर उस कार्य का अनुभव प्राप्त करते हैं, जो भावी जीवन में जब वह शिक्षा पूरी कर चुके हों, स्वयं रोजगार अथवा किसी संस्था में नौकरी प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय सेवा योजना शिक्षा को समाज की आवश्यकता के अनुरूप बनाने में एक ठोस प्रयास है।

3. राष्ट्रीय छात्र सेना (एन.सी.सी.) – वायु शाखा एवं स्थल शाखा

राष्ट्रीय छात्र सेना का उद्देश्य विद्यार्थी का व्यक्तित्व विकास करना है एवं साथ ही उनमें राष्ट्र प्रेम, भ्रातृत्व तथा शौर्य की भावनाओं का भी पूर्ण विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय छात्र सेना प्रशिक्षण की विशेष सुविधा उपलब्ध है।

4. रोवर स्काउटिंग

रोवर स्काउटिंग का उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व, अनुशासन, स्वावलम्बन, चरित्र गठन, समाज सेवा तथा सुनागरिकता के गुणों का विकास करना है। प्रेसीडेन्ट रोवर बनने पर छात्र को अगली कक्षा में प्रेवश लेने तथा नौकरी आदि में भी लाभ मिलता है।

छात्र सहायता केन्द्र

राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा में विद्यार्थियों की सुविधा एवं अकादमिक क्षमताओं के विकास की जानकारी हेतु 'प्लेसमेंट' एवं कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसके लिए महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशन में सम्बंधित प्रभारी प्लेसमेंट अधिकारी विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करने में प्रयासरत हैं। विभिन्न संस्थाओं में विद्यार्थियों को आजीविका के अवसर प्राप्त कराये गये हैं। यह क्रम अनवरत जारी है। महाविद्यालय में राज्य सरकार की मंशा के अनुसार विभिन्न वोकेशनल कोर्सेस की कक्षाऐं प्रारम्भ होने जा रही हैं। इस प्रकार के कोर्सेस में भाग लेने हेतु विद्यार्थी पूर्ण रूप से सजग एवं सचेत रहें।

महाविद्यालय विकास समिति

महाविद्यालय में राज्य सरकार के आदेशानुसार '**राजकीय कला महाविद्यालय विकास समिति, कोटा**' सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण क्रमांक 234/कोटा/2016–2018 से पंजीकृत है। समिति में माननीय सदस्य राज्य सरकार की भावना के अनुरूप मनोनीत किये गये हैं। माननीय सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित बैठकों में महाविद्यालय विकास हेतु विभिन्न निर्णय लिये जाकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। महाविद्यालय के प्राचार्य विकास समिति के सम्मानित अध्यक्ष हैं।

विविध परिषदें

विभिन्न विषयों की परिषदों द्वारा विषय संबंधी गहन अध्ययन कर वार्ताऐं, पत्रवाचन, गोष्ठियाँ आदि आयोजित की जाती हैं। परिषद के गठन हेतु पदाधिकारियों का चयन, मनोनयन प्रक्रिया द्वारा पिछली कक्षा के प्राप्ताकों की वरीयता के आधार पर किया जायेगा। इसके गठन के सभी अधिकार संरक्षक (प्राचार्य) में निहित होंगे।

छात्रावास सुविधा

1. रघुनाथ एवं जुबली छात्रावास

महाविद्यालय में दो छात्रावास, रघुनाथ एवं जुबली छात्रावास विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए उपलब्ध हैं। प्रेवश योग्यता सूची में वरीयता के आधार पर दिया जायेगा तथा स्नातक स्तर के छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी। महाविद्यालय में प्रवेश पश्चात् विद्यार्थी छात्रावास में प्रवेश हेतु संबंधित छात्रावास अधीक्षक से सम्पर्क करें। वार्षिक परीक्षा के पश्चात् प्रत्येक विद्यार्थी के लिए छात्रावास खाली करना अनिवार्य है।

2. गार्गी महिला छात्रावास

सत्र 2014–15 से महाविद्यालय की नियमित अध्ययनरत छात्राओं के लिए रघुनाथ छात्रावास के पीछे मिलिट्री रोड़ पर आठ कमरों का नवनिर्मित छात्रावास उपलब्ध हैं। प्रवेश हेतु इच्छुक छात्राऐं छात्रावास हेतु आवेदन करेंगी, जिन्हें प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता के आधार पर दिया जायेगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली शोधार्थी छात्राओं को छात्रावास में ही रहना अनिवार्य होगा (स्थानीय छात्राओं के अतिरिक्त) एवं उन्हें मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त सुविधायें

महाविद्यालय उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में सक्रिय संस्था के रूप में उभर रहा है, वहीं हाड़ौती क्षेत्र में इसका विशेष स्थान है। गत वर्षों में विभिन्न विषयों में हो रही अधुनातन शोध के संदर्भ में चर्चा के लिए विभिन्न विभागों द्वारा राष्ट्रीय, प्रादेशिक, महाविद्यालय स्तर की संगोष्ठियों का आयोजन किया गया एवं शोध प्रकल्पों (वृहद एवं लघु) आदि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त हुआ। विश्वविद्याालय अनुदान आयोग के सहयोग से महाविद्यालय में इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है।

छात्रों के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय संबंधी निर्देश

1. पुस्तकालय से पुस्तकों के आदान–प्रदान का समय प्रातः 11:00 से 2:00 बजे अपरान्ह तक रहेगा तथा प्रत्येक शनिवार को पुस्तकों के आदान–प्रदान का कार्य नहीं होगा।
2. पुस्तकालय से केवल नियमित छात्रों का प्रवेश परिचय पत्र दिखाने पर संभव है। पुस्तकालय से केवल नियमित छात्रों को ही तीन पुस्तकालय कार्ड दिये जाते हैं। कार्ड प्राप्ति हेतु शुल्क रसीद व परिचय पत्र साथ लाना आवश्यक है।
3. कार्ड प्राप्त करने हेतु अपनी प्रवेश शुल्क की रसीद पर छात्र अपना नाम, पिता का नाम, घर का स्थानीय व स्थायी पता आवश्य लिखें। छात्र अपनी प्रवेश शुल्क रसीद अन्य छात्रों को नहीं देवें अन्यथा उस रसीद पर जारी होने वाले पुस्तकालय कार्ड की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी।
4. पुस्तकालय कार्ड खो जाने की स्थिति में उन पर जारी की गई पुस्तकों की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
5. कार्ड खो जाने की स्थिति में अदेय प्रमाण पत्र (नो ड्यूज) देते समय प्रति कार्ड 5 रू. वसूल किये जायेंगे। पुस्तक खो जाने पर पुस्तक की दुगनी कीमत या वर्तमान कीमत जो भी अधिक हो वसूल की जायेगी।
6. प्राचार्य कार्यालय से प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूची प्राप्त होने पर ही कार्ड बनाये जा सकेंगे।
7. पुस्तकालय कार्ड अहस्तांतरणीय (नोन ट्रांसफरेबल) हैं, अतः अपने कार्ड किसी अन्य छात्र को नहीं दें।
8. अपने साथ लाये गये सामान को मुख्य द्वार पर टोकन प्राप्त करके रखें एवं पुस्तकालय की पुस्तकों को खराब नहीं करें, पृष्ठ नहीं फाड़ें और न ही नाम आदि लिखें, अन्यथा नियमानुसार कीमत वसूल की जायेगी।
9. कृपया पुस्तकालय के वाचनालय में बैठकर शान्तिपूर्वक पढ़ें व पुस्तकालय में अनुशासन बनाये रखें तथा पुस्तकें यथा स्थान पर ही रखें, अन्य जगह नहीं छिपायें।
10. प्रत्येक कार्ड पर एक पुस्तक 15 दिन के लिए जारी की जाती है। देय दिनांक से अधिक की अवधि तक पुस्तक रखने पर 25 पैसे प्रति पुस्तक प्रतिदिन के हिसाब से फाईन लगेगा।
11. पुस्तक प्राप्त करने से पूर्व उसे भली भाँति देख लें, यदि पुस्तक के पृष्ठ कटे–फटे हों या पृष्ठ कम हों तो पुस्तकालयाध्यक्ष को दिखाकर उनके हस्ताक्षर करवा लें अन्यथा पुस्तक लौटाते समय यदि वह फटी पायी गई अथवा पृष्ठ कम हुए तो उसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. पुस्तकालय से जारी पुस्तकें व कार्ड परीक्षा से पूर्व अवश्य ही जमा कराने होंगे।
13. पुस्तकालय से ली गई पुस्तकों को पुस्तकालय द्वार पर सुरक्षा गार्ड से जाँच करवा कर ही बाहर ले जावें व अपनी तलाशी देकर जावें। सुरक्षा गार्ड को बाहर जाने वाली सभी पुस्तकों को देखने का अधिकार है। साथ ही किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करें व संचालन कार्य में सहायोग करें।
14. अनुशासन भंग करने अथवा नियमों की पालना नहीं करने की स्थिति में पुस्तकालयाध्यक्ष को छात्र/छात्रा को बाहर निकालने का पूर्ण अधिकार है तथा उसे पुस्तकालय में प्रवेश एवं पुस्तकें प्राप्त करने से भी वंचित किया जा सकता है।

संकाय सदस्य

प्राचार्य

डॉ. कंचना सक्सेना

❖ अंग्रेजी

1. श्रीमती दीपा चतुर्वेदी
2. डॉ.(श्रीमती) विनिता शुक्ला
3. डॉ. (श्रीमती) जतिन्दर कोहली
4. श्री एस.बी.एस.राय

❖ हिन्दी

1. डॉ. शशि प्रकाश चौधरी
2. डॉ. विवेक शंकर
3. डॉ. लड्डू लाल मीणा
4. डॉ. अनिता वर्मा
5. डॉ. आदित्य कुमार गुप्ता
6. डॉ. विवेक कुमार मिश्रा
7. डॉ. (श्रीमती) शशि प्रभा शर्मा
8. डॉ. रामावतार मेघवाल

❖ अर्थशास्त्र

1. डॉ. (श्रीमती) सीमा सोरल
2. श्री अमिताव बासु
3. डॉ. (श्रीमती) नीलम गोयनका
4. डॉ. (सुश्री) प्रमिला श्रीवास्तव

❖ राजनीति विज्ञान

1. डॉ.(श्रीमती) रेणु शर्मा (प्रतिनियुक्ति)
2. डॉ.(श्रीमती) सरिता शर्मा
3. डॉ.(श्रीमती) कल्पना शर्मा
4. डॉ. गोविन्द कृष्ण शर्मा
5. डॉ.(श्रीमती) अकीला आजाद
6. डॉ.(श्रीमती) जया शर्मा
7. डॉ.(श्रीमती) रमा शर्मा
8. डॉ.(श्रीमती) सुनीता गुप्ता
9. डॉ.(श्रीमती) संध्या गुप्ता
10. डॉ.(श्रीमती) गुंजिका दुबे (प्रतिनियुक्ति)
11. डॉ. गुलाम रसूल खॉन

❖ लोक प्रशासन

1. डॉ. आर.के.गर्ग
2. डॉ. (श्रीमती) वन्दना शर्मा
3. डॉ. कृष्ण गोपाल महावर
4. श्री अनिल कुमार पारीक
5. श्री मनोरंजन सिंह

❖ इतिहास

1. डॉ. (श्रीमती) निधि शर्मा
2. डॉ. (श्रीमती) पिंकी यादव
3. डॉ. (श्रीमती) सीमा गुप्ता
4. डॉ. (श्रीमती) संतोष मीणा
5. डॉ. (श्रीमती) विधि शर्मा
6. डॉ. (श्रीमती) चंचल गर्ग
7. श्रीमती मोनिका गर्ग (सं.व्या.)

❖ समाज शास्त्र

1. डॉ. (श्रीमती) सुमन गुप्ता
2. श्रीमती सुप्रिया सेठ
3. डॉ. (श्रीमती) मंजु गुप्ता
4. डॉ. (श्रीमती) जयश्री राठौर
5. श्री मल्लूराम मीणा
6. श्रीमती अनीता टांक
7. डॉ. मुकेश कुमार सैनी
8. डॉ. रसीला
9. डॉ. तलविन्दर कौर (सं.व्या.)
10. डॉ. राधा कृष्ण मीणा (सं.व्या.)

❖ चित्रकला

1. डॉ.(श्रीमती) शालिनी भारती
2. श्री हरिओम वर्मा
3. डॉ.(श्रीमती) सविता वर्मा
4. डॉ. (सुश्री) सीमा चतुर्वेदी
5. डॉ. मनोज कुमार वर्मा
6. डॉ. निधि मीणा (प्रतिनियुक्ति)
7. डॉ. रमेश चन्द मीणा
8. श्री बी.एल. बामनिया (सं.व्या.)

❖ **भूगोल**

1. डॉ. (श्रीमती) सीमा चौहान
2. डॉ. एच.एन. कोली
3. डॉ. एम.जेड.ए.खॉन
4. डॉ. एल.सी.अग्रवाल
5. डॉ. अजेय विक्रम सिंह
6. डॉ. (श्रीमती) सपना टकसाली
7. श्रीमती अनीता कटारा
8. डॉ.(श्रीमती) प्रभा शर्मा
9. श्रीमती प्रीति नागोरा

❖ **उर्दू**

1. डॉ. नुसरत फातेमा
2. सुश्री फख़्रून्निसा बानो
3. श्री मोहम्मद इब्राहिम (प्रतिनियुक्ति)
4. डॉ. अली रज़ा

❖ **दर्शनशास्त्र**

1. डॉ.(श्रीमती) अंजलि शर्मा

❖ **संस्कृत**

1. डॉ. (श्रीमती) सुनीता यादव
2. डॉ. (श्रीमती) साधना कंसल
3. डॉ. (श्रीमती) वन्दना शर्मा
4. श्रीमती विनीता राय
5. डॉ. राजेश कुमार बैरवा
6. डॉ. हरकेश बैरवा
7. डॉ. (श्रीमती) हिमा गुप्ता

❖ **डी.पी.ई.**

1. श्री अमर सिंह यादव

मंत्रालयिक कर्मचारी

❖ **सहायक प्रशासनिक अधिकारी**

श्रीमती सुमित्रा शर्मा

❖ **सहायक लेखाधिकारी**

.....

❖ **कनिष्ठ सहायक**

1. श्री नीरज कुमार मीना
2. श्री नमोनारायण मीना

❖ **प्रयोगशाला सहायक**

1. श्री विकास राव
2. श्री निशान्त राठौर

❖ **सहायक कर्मचारी**

1. श्री शंकर लाल
2. श्री लाल चन्द रेगर
3. श्री जय सिंह
4. श्री अनिल मिश्रा
5. श्री महेश कुमार मीणा
6. श्रीमती बदरून्निसा

समितियाँ

❖ अपेक्स समिति

1. डॉ. शशि प्रकाश चौधरी – संयोजक
2. डॉ. सरिता शर्मा
3. डॉ. सीमा सोरल
4. डॉ. शालिनी भारती
5. डॉ. दीपा चतुर्वेदी

❖ अनुशासन एवं एन्टीरेगिंग समिति

1. डॉ. सीमा चौहान – संयोजक
2. डॉ. विवेक शंकर
3. डॉ. लड्डू लाल मीना
4. डॉ. सुनीता यादव
5. डॉ. एम.जेड.ए. खान
6. डॉ. जी.के शर्मा
7. डॉ. जया शर्मा
8. डॉ. मल्लू राम मीणा
9. डॉ. मनोज वर्मा

❖ समय–सारिणी समिति

1. डॉ. दीपा चतुर्वेदी –संयोजक
2. डॉ. निधि शर्मा
3. डॉ. एच.एन. कोली
4. डॉ. अनिता वर्मा
5. डॉ. साधना कंसल
6. डॉ. नीलम गोयनका
7. डॉ. सुनीता गुप्ता

❖छात्रवृत्ति समिति

1. डॉ. सीमा सोरल – संयोजक
2. डॉ. सविता वर्मा
3. डॉ. संतोष मीणा
4. डॉ. अनिता टाँक
5. डॉ. रामावतार मेघवाल
6. डॉ. प्रीति नागौरा
7. डॉ. रमेश चन्द मीणा
8. सुश्री फख्रूनिसा

❖कम्प्यूटर एवं नेटवर्क रखरखाव समिति

1. डॉ. एस.बी.एस. रॉय – संयोजक
2. डॉ. राज कुमार गर्ग
3. डॉ. अमिताव बासु
4. डॉ. अजेय विक्रम सिंह
5. डॉ. राजेश बैरवा
6. डॉ. हरकेश बैरवा
7. डॉ. सुप्रिया सेठ

❖पूछताछ एवं हैल्प डैस्क समिति

1. डॉ. सपना टकसाली – संयोजक
2. डॉ. आदित्य गुप्ता – सह संयोजक
3. डॉ. सुनीता गुप्ता
4. डॉ. पिंकी यादव
5. डॉ. शशि प्रभा शर्मा
6. डॉ. सीमा गुप्ता
7. डॉ. जी.आर. खॉन
8. डॉ. अली रज़ा

प्रवेश–समितियाँ

समग्र प्रवेश प्रभारी – डॉ. सरिता शर्मा
सह प्रभारी – डॉ. सीमा सोरल

❖ ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रकोष्ठ

1. श्री अमिताव बासु – नोडल अधिकारी स्नातकोत्तर
2. डॉ. अजेय विक्रम सिंह – नोडल अधिकारी स्नातक

❖ प्रथम वर्ष कला

1. डॉ. विनीता शुक्ला – संयोजक
2. डॉ. रमा शर्मा – सह–संयोजक
3. डॉ. अंजलि शर्मा
4. डॉ. विवेक मिश्र
5. डॉ. संध्या गुप्ता
6. डॉ. अनिता कटारा
7. डॉ. प्रभा शर्मा
8. डॉ. हरकेश बैरवा
9. डॉ. गुंजिका दुबे
10. डॉ. अनिल पारीक
11. डॉ. मनोरंजन सिंह
12. सुश्री रसीला
13. श्री बी.एल. बामनिया (सं.व्या.)

❖ द्वितीय वर्ष कला

1. डॉ. शालिनी भारती – संयोजक
2. डॉ. जतिन्दर कोहली – सह–संयोजक
3. डॉ. सुप्रिया सेठ
4. डॉ. के.जी. महावर
5. डॉ. विनीता रॉय
6. डॉ. विधि शर्मा
7. डॉ. रमेश चन्द मीणा
8. डॉ. मोनिका गर्ग (सं.व्या.)
9. डॉ. तलविन्दर कौर (सं.व्या.)

❖ तृतीय वर्ष कला

1. डॉ. सुमन गुप्ता – संयोजक
2. डॉ. सीमा चतुर्वेदी – सह–संयोजक
3. डॉ. वन्दना शर्मा (संस्कृत)
4. डॉ. मंजू गुप्ता
5. डॉ. संतोष मीणा
6. डॉ. राजेश बैरवा
7. डॉ. प्रीति नागौरा
8. डॉ. मुकेश सैनी
9. डॉ. आर.के मीणा (सं.व्या.)

एम.ए. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध / एम. फिल.

❖ चित्रकला

1. डॉ. हरिओम वर्मा– संयोजक
2. डॉ. सविता वर्मा

❖ अर्थशास्त्र

1. डॉ. नीलम गोयनका – संयोजक
2. डॉ. प्रमिला श्रीवास्तव

❖ अंग्रेजी

1. डॉ. दीपा चतुर्वेदी – संयोजक
2. डॉ. एस.बी.एस. राय

❖ भूगोल

1. डॉ. एच.एन. कोली – संयोजक
2. डॉ. एल.सी. अग्रवाल

❖ हिन्दी

1. डॉ. अनिता वर्मा – संयोजक
2. डॉ. रामावतार मेघवाल

❖ इतिहास

1. डॉ. निधि शर्मा – संयोजक
2. डॉ. चंचल गर्ग

❖ राजनीति विज्ञान

1. डॉ. कल्पना शर्मा – संयोजक
2. डॉ. अक़ीला आजाद

❖ लोक प्रशासन

1. डॉ. राज कुमार गर्ग – संयोजक
2. डॉ. वन्दना शर्मा

❖ संस्कृत

1. डॉ. साधना कंसल – संयोजक
2. डॉ. हिमा गुप्ता

❖ समाजशास्त्र

1. डॉ. जयश्री राठौड़ – संयोजक
2. डॉ. अनिता टाँक

❖ उर्दू

1. डॉ. नुसरत फातिमा – संयोजक
2. डॅ. फख़्रून्निसा बानो

प्रकाशक
डॉ. कंचना सक्सेना
प्राचार्य
राजकीय कला महाविद्यालय
कोटा (राज.) – 324001